(8)

GOVERNMENT OF INDIA/BHARAT SARKAR
MINISTRY OF RAILWAYS/RAIL MANTRALAYA
(RAILWAY BOARD)

RBE No 115 /99.

No. E(P&A)I-98/ALL/RPF/3 New Delhi, Dated: 25-5-1999

The General Managers/OSDs/CAOs,
All Indian Railways & Production Units etc.
(As per mailing lists No.I & III).

Subject : Amendment to the Indian Railway Establishment code, Vol. II, 1987 Edition.

****

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the President is pleased to direct that Rule 1425 may be added to chapter 14 of Indian Railway Establishment Code, Volume - II, 1987 Edition as in the Advance Correction Slip No. 41 enclosed.

2. This issues with the concurrence of the Finance Directorate of the Ministry of Railways.

3. Kindly acknowledge receipt.

DA: Correction Slip.

(K.J. ABRAHAM)
JOINT DIRECTOR, ESTT. (P&A)
RAILWAY BOARD.

No. E(P&A)I-98/ALL/RPF/3 New Delhi, Dated: 25-5-1999

Copy forwarded to the FA&CAOs, All Indian Railways etc.

DA: Correction slip.

(K.J. Abraham)
Joint Director Establishment(P&A),
Railway Board.

No.E(P&A)I-98/ALL/RPF/3 New Delhi, Dated 25-5-99

Copy forwarded to the Federations etc.(As per standard mailing list No.III)

DA: Correction slip

for Secretary/Railway Board.

...2/-

No.E(P&A)I-98/ALL/RPF/3 New Delhi, Dated: 25.5.99.

Copy (with 40 spares) forwarded the DAI (Railways), New Delhi.

DA: Correction slip.

for Financial Commissioner/Railways.

Copy to :-

PPSs/PSs/PAs to :- CRB, FC, MS, ME, ML, MM, AM(S), DG/RPF AM(F), & Secretary, EDPC-I&II, EDE, ED(E&R), EDF(B), EDE(N), IG/RPF EDE(IR), ED(PG), DF(E),DPC, JDE(P&A), JDE(L), JDE(D&A), JDE(G), JDF(E), JDPC-II, JS(G), JS(E), DS(E), US(A), DDF(E)III, DDE(LR) I, II & III.

Sec(E), E(P&A)II, PC-III, PC-IV & V, ERB-I,II,III,IV,V & D, E(O)I,II,III & E(O)III/CC, CASH-I,II & III, E(G) with five spares, E(GC), E(GP), Budget Br., F(E)I,II,III &Spl., A/Cs III (with 10 spares), Accounts Inspection Cell (with three spares), E(W), E(NG)I & II, E(D&A), E(Rep)I,II & III, Code Revision Cell, (with 3 spares) Branches of Railway Board.

1425. **Allowances admissible to RPF/RPSF personnel :**

1. Ration Money Allowance :

(a) Non-gazetted personnel upto the rank of Inspector Grade I (Scale Rs. 6500-10500) are entitled to Ration Money Allowances at a rate fixed by the Ministry of Railways from time to time.

NOTE : with the introduction of this Ration Money Allowance (w.e.f. 1.8.97) Extra Duty Allowance for working more than nine hours in a day as also the Ration Subsidy, cease to be admissible.

(b) During LAP, Ration Money is payable upto 120 days. It will be paid at full rates for the first 60 days and at half the rates, for the next 60 days.

(c) RPF/RPSF personnel deployed on Internal Security Duty are entitled to Ration Money at full rates for a maximum period of six months only.

(d) Ration Money Allowance is fully exempt from the purview of Income Tax. It should, therefore, not be included in their gross salary for the purpose of working out Income Tax liability to be deducted at source.

(Board's letters No. E(P&A)I-98/ALL/RPF/1, dt. 1.4.98 & 19.8.98)

2. Cash Compensation for holidays/Closed days.

(a) In the exigencies of public service, RPF/RPSF personnel are required to perform duty even on gazetted holidays/closed days/restricted holidays/National Holidays/weekly rest days/other holidays. Every effort should be made to grant compensatory holiday/rest in lieu of the holiday/rest foregone by the staff during the same week or within the next 30 days. It is only in emergent situation that weekly rest or compensatory rest/holiday for working on rest days or on gazetted holidays should be denied and the reasons therefor should be recorded by Company Commanders/Officer-in-charge of the post. The permission to staff for leaving station on rest days should invariably be granted, if asked for. The Security Officer/Assistant Security Officer will personally ensure this and issue suitable instructions to the Company commanders/Post Incharge.

(b) The Cash Compensation is payable for each day the personnel actually work on holidays for which it is not possible to grant compensatory off as per sub-rule (a) above.

...2/-

NOTE: The total amount of Cash compensation in a Calendar year will not exceed one month's salary comprising basic pay, special pay (if any) and dearness allowance.

(c) RPF/RPSF personnel will not be entitled to National Holiday Allowance in addition, for performing duty on a National Holiday.

(d) The term 'holiday' includes all the 16 public/gazetted holidays/Restricted holidays, weekly rest days(whether Sunday and any other day), 2nd Saturdays and 9 National Holidays for the purpose of Cash Compensation in lieu of attendance on these holidays.

(Board's letter No. E(P&A)I-98/ALL/RPF/2, dt. 30.10.98, No. E(P&A)II-79/HW/1 RPF(b), dt. 3.10.79, No. E(P&A)II-80/HW-2(RPF), dt. 2.7.1980, dt. 12.1.1981, No. E(P&A)II-82/ALL/1/RPF, dt. 17.6.82 & No. E(P&A)II-84/ALL/RPF-2, dt. 6.8.85)

3. Washing Allowance.

(A) Non-gazetted Staff

RPF/RPSF personnel may be granted Washing allowance at a rate fixed by the Ministry of Railways from time to time. With effect from 1.8.1997 Washing Allowance is payable @ of Rs. 30/- p.m.

(Board's letter No. E(P&A)I-98/ALL/RPF/4, dt. 14.12.98)

(B) Gazetted Officers

Group 'A' officers of RPF/RPSF are entitled to the Uniform Allowance and Kit Maintenance Allowance as follows :-

S.No.	Type of Allowance	Rates effective from **1.8.1997.**
1.	Uniform Allowance	
1.(a)	Initial grant	Rs.6500/-
(b)	Renewal grant	Rs.3000/- to be granted after every seven years.
2.	Kit Maintenance Allowance.	Rs.150/-p.m. for group 'A' Officers of RPF/RPSF.

Note : The Inspectors in scale 6500-10500 who are promoted as Group 'A' officers on Adhoc basis, will be paid Renewal Grant at the rate of Rs. 425/- per annum, till they are promoted on Regular basis.

(Board's letter No. E(P&A)I-98/ALL/RPF/4, dt. 14.12.98)

(Authority: Board's letter No. E(P&A)I-98/All/RPF/3, dt. 25.5.1999)

भारत सरकार

रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

आर बी ई सं......115 /99

सं.ई(पी एंड ए) 1-98/ए एल एल/आर पी एफ/3 नई दिल्ली, दिनांक: 25.5.99

महाप्रबंधक/विशेषकार्य अधिकारी/मुख्य प्रशासनिक अधिकारी,
सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाईयां आदि.
(डाक सूची सं. 1 एवं 111 के अनुसार)

विषय: भारतीय रेल स्थापना संहिता, जिल्द-II, 1987 संस्करण में संशोधन.

संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राष्ट्रपति यह निदेश देते हैं कि संलग्न अग्रिम शुद्धि पर्ची सं..41.. के अनुसार भारतीय रेल स्थापना संहिता, जिल्द-II, 1987 संस्करण के अध्याय 14 में नियम 1425 जोड़ा जाए.

2. इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है.

3. कृपया इस पत्र की पावती दें.

के जे अब्राहम
(के.जे.अब्राहम)
संयुक्त निदेशक, स्थापना(वेतन एवं भत्ता),
रेलवे बोर्ड.

संलग्नक: शुद्धि पर्ची.

सं.ई(पी एंड ए)1-98/ए एल एल/आर पी एफ/3 नई दिल्ली, दिनांक: 25.5.99

वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी, सभी भारतीय रेलों आदि को प्रतिलिपि अग्रेषित.

के जे अब्राहम
(के.जे.अब्राहम)
संयुक्त निदेशक, स्थापना(वेतन एवं भत्ता),
रेलवे बोर्ड.

संलग्न: शुद्धि पर्ची.

सं•ई§पी एंड ए§1-98/ए एल एल/आर पी एफ/3 नई दिल्ली, दिनांकः 25.5.99

फेडरेशन आदि को § मानक सूची 3 के अनुसार§ प्रतिलिपि अग्रेषित•

कृते सचिव/रेलवे बोर्ड•

संलग्नःशुद्धि पर्ची

सं•ई§पी एंड ए§1-98/ए एल एल/आर पी एफ/3 नई दिल्ली, दिनांकः 25.5.99

डी•ए•आई§रेलें§ को 40 अतिरिक्त प्रतियों सहित प्रतिलिपि अग्रेषित.

पी के पुरी

कृते वित्त आयुक्त/रेलवे•

संलग्नःशुद्धि पर्ची•

प्रतिलिपिः

मुख्य निजी सचिव/निजी सचिव/वैयक्तिक सहायकः अध्यक्ष रेलवे बोर्ड, वित्त आयुक्त, सदस्य कार्मिक, सदस्य इंजीनियरी, सदस्य बिजली, सदस्य यांत्रिक, अपर सदस्य §कार्मिक§, अपर सदस्य§वित्त§, सचिव रेलवे बोर्ड, महानिदेशक/रे.सु.ब., संयुक्त सचिव§सामान्य§, संयुक्त सचिव§स्थापना§, कार्यपालक निदेशक, वेतन आयोग-1 एवं 11, कार्यपालक निदेशक स्थापना, कार्यपालक निदेशक §कुशलता एवं अनुसंधान§, कार्यपालक निदेशक वित्त§बजट§, कार्यपालक निदेशक स्थापना (अराज.), महानिदेशक (रे-सुब) कार्यपालक निदेशक स्थापना§आई आर§, कार्यपालक निदेशक§जन शिकायत§, निदेशक वित्त §स्थापना§, निदेशक वेतन आयोग, संयुक्त निदेशक स्थापना§वेतन एवं भत्ता§, संयुक्त निदेशक स्थापना§श्रम§, संयुक्त निदेशक स्थापना§अनुशासन एवं अपील§, संयुक्त निदेशक स्थापना§राज•§, संयुक्त निदेशक वित्त §स्थापना§, संयुक्त निदेशक वेतन आयोग-11, उप सचिव§स्थापना§, अवर सचिव§प्रशासन§, उपनिदेशक वित्त §स्थापना§111, उप-निदेशक§स्थापना§, §श्रम संबंध§1,11 एवं 111 रेलवे बोर्ड के स्थापना §वेतन एवं भत्ता§11, वेतन आयोग-111, वेतन आयोग-1V एवं V, ई•आर•बी•1,11,111,1V, V एवं डी•, ई§ओ§ I,II,III एवं /111/सी सी, रोकड-1,11 एवं 111 स्थापना§राज•§5 अतिरिक्त प्रतियों सहित, स्थापना §राजपत्रित संवर्ग§, स्थापना §राजपत्रित पद§, बजट शाखा, सुरक्षा (स्थापना).

वित्त §स्थापना§ 1,11,111 एवं विशेष, लेखा 111 §10 अतिरिक्त प्रतियों सहित§, लेखा निरीक्षण कक्ष§3 अतिरिक्त प्रतियों सहित§, स्थापना§कल्याण§, स्थापना §अराज•§1 एवं 11, स्थापना §अनु•एवं अपील§, ई§रिप§ 1,11, एवं 111, कोड रिवीजन कक्ष§3 अतिरिक्त प्रतियों सहित§, शाखाओं को•

अग्रिम शुद्धि पर्ची सं. 41. स्था-II, 1987 संस्करण.

1425. रेल सुरक्षा बल/रेल सुरक्षा विशेष बल कर्मियों को अनुज्ञेय भत्ते.

1. राशन भत्ता:

(क) निरीक्षक ग्रेड 1 (वेतनमान रु0 6500-10500) रैंक तक के अराजपत्रित कर्मी रेल मंत्रालय द्वारा समय-समय पर निर्धारित दर पर राशन भत्ते के हकदार होंगे.

नोट: इस राशन भत्ते के शुरू होने के साथ (1.8.97 से प्रभावी) एक दिन में नौ घंटे के ज्यादा काम करने के लिए अतिरिक्त सेवा भत्ता एवं इसके साथ राशन इमदाद की अनुज्ञेयता समाप्त हो जाएगी.

(ख) औसत वेतन छुट्टी में राशन भत्ता 120 दिन तक की अवधि तक देय होगा. यह पहले 60 दिनों के लिए पूर्ण दरों पर तथा अगले 60 दिनों के लिए आधी दरों पर दिया जाएगा.

(ग) आंतरिक सुरक्षा ड्यूटी पर तैनात किए गए रेल सुरक्षा बल/रेल सुरक्षा विशेष बल के कर्मी केवल छह माह की अधिकतम अवधि के लिए पूर्ण दरों पर राशन भत्ते के हकदार होंगे.

(घ) राशन भत्ता, आयकर के प्रयोजन से पूर्ण रूप से छूट प्राप्त होगा. इसलिए इसे आयस्त्रोत से देय आयकर की कटौती के परिकलन हेतु सकल आय में जोड़ा नहीं जाएगा.

(बोर्ड कार्यालय के दिनांक 1.4.98 एवं 19.8.99 का पत्र सं. ई(पी एंड ए)1-98/ए एल एल/आर पी एफ/1).

2. छुट्टियों/बंद दिनों के लिए नकद प्रतिपूर्ति.

(क) लोक सेवा की तात्कालिक आवश्यकताओं में, रेल सुरक्षा बल/रेल सुरक्षा विशेष बल के कर्मियों से राजपत्रित छुट्टियों/बंद दिनों/प्रतिबंधित छुट्टियों/राष्ट्रीय अवकाशों/साप्ताहिक विश्राम दिनों/अन्य छुट्टियों के दिनों में भी ड्यूटी की अपेक्षा की जाती है. कर्मियों द्वारा छुट्टी/विश्राम के दिन ड्यूटी दिए जाने के बदले में उन्हें प्रतिपूरक छुट्टी/विश्राम उसी सप्ताह में या अगले 30 दिनों के भीतर प्रदान करने के सभी प्रयास किए जाने चाहिए. ~~है.~~

केवल आपाती स्थितियों में ही साप्ताहिक विश्राम या विश्राम दिनों में कार्य करने के बदले प्रदान किए गए प्रतिपूरक विश्राम/छुट्टी अस्वीकार किए जाने चाहिए और उस चौकी के कंपनी कमांडरों/प्रभारी अधिकारी द्वारा उस छुट्टी के अस्वीकार्यता के कारण दर्ज किए जाने चाहिए• कर्मचारियों को विश्राम के दिनों में स्टेशन छोड़ने की अनुमति यदि मांगी गई हो, निरपवाद रूप से प्रदान की जानी चाहिए• सुरक्षा अधिकारी/सहायक सुरक्षा अधिकारी व्यक्तिगत रूप से इसे सुनिश्चित करेंगे और कंपनी कमांडरों/चौकी प्रभारियों को उपयुक्त अनुदेश जारी करेंगे•

§ख§ उपर्युक्त उपनियम§क§ के अनुसार हर उस छुट्टी के दिन जिस दिन कर्मी वास्तव में कार्य करें और जिसके लिए प्रतिपूरक छुट्टी प्रदान करना संभव नहीं हो, नकद प्रतिपूर्ति देय होगा.

नोट: एक कैलेंडर वर्ष में नकद प्रतिपूर्ति की कुल रकम एक माह के वेतन, जिसमें मूल वेतन, विशेष वेतन §यदि कोई हो§ तथा महंगाई भत्ता शामिल हो, से अधिक नहीं होगी•

§ग§ रेल सुरक्षा बल/रेल सुरक्षा विशेष बल के कर्मी, राष्ट्रीय अवकाश के दिन ड्यूटी करने के लिए अतिरिक्त राष्ट्रीय अवकाश भत्ते के हकदार नहीं होंगे•

§घ§ छुट्टियों के दिन ड्यूटी के बदले नकद प्रतिपूर्ति प्रदान करने के प्रयोजन के लिए "छुट्टी" शब्द के अंतर्गत सभी 16 सार्वजनिक/राजपत्रित छुट्टियां/प्रतिबन्धित छुट्टियां, साप्ताहिक विश्राम दिन§ चाहे रविवार हो या कोई अन्य कोई दिन§, दूसरा शनिवार तथा 9 राष्ट्रीय अवकाश शामिल होंगे•

§ बोर्ड कार्यालय के दि0 30•1098 का पत्र सं•ई§पी•एंड ए§1-98/ए•एल•एल•/आर•पी•एफ/2,
दि0 3•10•79 का पत्र सं• ई§पी•एंड ए§11-79/एच डब्ल्यू/1 आर•पी•एफ§बी§
दि• 2•7•1980, दि0 12•1•1981 का पत्र सं• ई§पी एंड ए§11-80/एच डब्ल्यू-2§आर•पी•एफ•§,दि0 17•6•82 का पत्र सं• ई§पी एंड ए§11-82/ए एल एल/1/आर पी एफ तथा दि0 6•8•85 का पत्र सं• ई§पी एंड ए§11-84/आर•पी•एफ•-2§•

3• <u>धुलाई भत्ता</u>

§क§ <u>अराजपत्रित कर्मचारी:</u> रेल सुरक्षा बल/रेल सुरक्षा विशेष बल के कर्मियों को रेल मंत्रालय द्वारा समय-समय पर निर्धारित की गई दरों पर धुलाई भत्ता प्रदान किया जाए• 1•8•1997 से धुलाई भत्ता 30/-रू0 प्रतिमाह की दर से देय होगा•

§बोर्ड कार्यालय का दि0 14•12•98 का पत्र सं•ई§पी•एंड ए§1-98/एएलएल/आरपीएफ/4§

--5/--

(ख) राजपत्रित अधिकारी

रेल सुरक्षा बल/रेल सुरक्षा विशेष बल के वर्ग"क" अधिकारी निम्नानुसार वर्दी भत्ते तथा किट अनुरक्षण (किट मैंटेनेंस) भत्ते के हकदार होंगे:

क्र.सं.	भत्ते का प्रकार	1.8.1997 से प्रभावी दर
1.	वर्दी भत्ता	
1(क)	प्रारंभिक अनुदान	6500/-रू
(ख)	नवीकरण अनुदान	3000/-रू जो कि प्रत्येक सात साल में एक बार प्रदान किया जाएगा.
2.	किट अनुरक्षण भत्ता	150/-रू0 प्रतिमाह रेल सुरक्षा बल/रेल सुरक्षा विशेष बल के वर्ग"क" अधिकारियों के लिए.

नोट: 6,500-10,500 के वेतनमान में निरीक्षक, जो तदर्थ आधार पर वर्ग "क" अधिकारियों के रूप में पदोन्नत किए जाते हैं, जब तक वे नियमित रूप से पदोन्नत नहीं किए जाते, उन्हें तब तक 425/-रू0 प्रतिवर्ष की दर पर नवीकरण अनुदान दिया जाएगा.

(बोर्ड कार्यालय का दि0 14.12.98 का पत्र सं.ई(पी एंड ए)1-98/एपलपल/आरपीएफ/4)

(प्राधिकार: बोर्ड कार्यालय का दि0 25.5.99 का पत्र सं.ई(पी एंड ए)1-98/ए एल एल/ आर पी एफ/3)

.....